न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक 19.01.2024

प्रकरण संख्या :– 09/2024 (2023/44)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. सुनिलकुमार पुत्र बुद्धराज बापना निवासी ब्यावर तहसील व जिला ब्यावर (राज.) **प्रार्थी**

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र बुद्धराज बापना निवासी ब्यावर तहसील व जिला ब्यावर (राज.)
2. सुमन कासोटिया पत्नि मुकेश कुमार रेगर निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

विपक्षीगण

उपस्थिति–

अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री मनीष दाधीच

विपक्षीगण संख्याः– 1 लगायत 2 अनुपस्थित

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय **दिनांकः–17.05.2024**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 8370/1145 रकबा 0.1151 हे0, 8372/1145 रकबा 0.1200 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2351 हे0 भुमि राजस्व खाता संख्या 1998 पर स्थित है। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 8370/1145 रकबा 0.1151 हे0, 8372/1145 रकबा 0.1200 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2351 हे0 भुमि राजस्व खाता संख्या 1998 पर स्थित भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो सक्षम न्यायाल में वाद दायर कर चाराजोही करें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Divyaraj Singh Chundawat
Date: 2024.11.22 17:49:55 IST
Reason: SelfAttested